न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म0प्र0

(122)

[Court fee stamp: 10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES]

रेस्टो.प्र.क्र.0 2157/PBR/14

खारिज दिनांक 23.1.2017

रेस्टो-9086-PBR-17

श्री दिवाकर दीक्षित अभि0 द्वारा आज दि. 8-5-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित अभि. 8-5-17 अपीलार्थी

अजय कुमार पटेल आ0 प्रदीप कुमार

निवासी बैतूल रोड , पुरानी इटारसी ,वार्ड क्र.1

ताज टी.व्ही.एस. शोरूम के पास इटारसी ,

तहसील इटारसी जिला- होशंगाबाद -----याचिकाकर्ता

बनाम

मोहनदास पटेल आ0 स्व0 श्री नन्हेलाल पटेल

निवासी जमानी रोड ,पुरानी इटारसी

तहसील इटारसी जिला- होशंगाबाद व अन्य ------ अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है :-

1. यह कि , आवेदक की ओर से एक निगरानी श्रीमान कमिश्नर ~~कलेक्टर~~ महोदय होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.2.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.1.17 को याचिकाकर्ता एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे खारिज किया जा चुका है ।

2. यह कि , उक्त खारिजगी की जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिनांक 25.4.17 को हुई जिसे पुर्नस्थापित किये जाने हेतु यह आवेदनपत्र जानकारी दिनांक से समय सीमा मे प्रस्तुत किया जा रहा है ।

[signature]

....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 9086–पीबीआर/17 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र इस न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 23–1–2017 के विरूद्ध दिनांक 8–5–2017 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये हैं, वह विलम्ब का समाधान कारक कारण नहीं है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । अतः यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया अवधि बाहय होने से अग्राहय की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	